



प्रेषक,
अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7**लखनऊ: दिनांक 15-05-2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत लखनऊ मण्डल के कतिपय जनपदों के 13 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्रों(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 13 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल **रू० 3022.45 लाख (रूपये तीस करोड बाईस लाख पैतालीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	खण्ड/जन पद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/बचत/बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	क्षेत्र से प्राप्त मांग	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20678/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-23-04-2026	प्रा.ख. उन्नाव	मेहनलालगंज मौरावा उन्नाव मार्ग से बिल्लेश्वर मन्दिर सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	92/2025/679/001-23-6099-099-59-2025, दि-07.03.2025	464.70 464.70 117.61 347.09	218.58	50.00	50.00
2	-तदैव-	नि.ख.-1 रायबरेली	डलमऊ संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	155/2025/916/001-23-6099(099)/94/2025/दिनांक- 30-03-2025	105.85 105.85 33.51 72.34	45.00	20.00	20.00
3	-तदैव-	नि.ख.-1 रायबरेली	लल्ली की चक्की से धूतेश्वर मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग किमी०-12(800) का नव निर्माण कार्य	50/2025/आई/134746/001-23-6099(099)/282/2025	129.01 125.31 3.05 122.26	64.50	46.07	46.07
4	20720/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-	प्रा.ख. लखनऊ	धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में इटौजा शिवपुरी होते हुए कठवारा माँ चन्द्रिका देवी धाम मार्ग (अ०जि०मा०) के चौड़ीकरण एवं	150/2025/910/001-23-6099(099)/15/2025	2388.90 2388.90 432.59 1956.31	919.42	939.07	939.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	24-04-2026		सुदृढीकरण का कार्य।					
5	20809/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-27-04-2026	नि.ख. सीतापुर	चैरासी कोसीय परिक्रमा मार्ग हेतु कोरोना से रामगढ़ चीनीमिल सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	99/2025/666/01-23-6099-099-42-2025,दि-10.03.2025	1144.12 1144.12 203.42 940.70	786.06	35.00	35.00
6	21048/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-30-04-2026	नि.ख.-1 खीरी	बिलराया पनवारी राज्य मार्ग सं0-21 के किमी0 68 से मेढक मन्दिर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	92/2025/679/01-23-6099-099-59-2025,दि-07.03.2025	380.27 380.27 148.89 231.38	203.22	15.00	15.00
7	-तदैव-	प्रा.ख. खीरी	जनपद लखीमपुर में लखीमपुर-देवकली अलीगंज मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0 9 से देवकली मन्दिर वाया सरैया माफी मार्ग के चौ0 एवं0 सुदृढीकरण का कार्य।	57/2025/आई/1146975/2025/01-23-6099-099/293/2025 दि0 18.11.2025	584.43 584.43 115.76 468.67	175.33	145.00	145.00
8	-तदैव-	प्रा.ख. हरदोई	जनपद हरदोई में नैमिषारण्य धाम के चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के द्वितीय पड़ाव हरैया से चतुर्थ पड़ाव उमरारी तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 15.30 किमी0)।	186/2025/950/001-23-6099/43/2024 दि0 31-03-25	2686.18 2686.18 108.94 2577.24	902.19	200.00	200.00
9	21260/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-11-05-2026	नि.ख.-1 सीतापुर	लालापुर सेर मार्ग से चन्द्रमोली आश्रम होते हुये रामनगर संपर्क मार्ग।	52/2025/आई/1141254/001-23-6099(099)/291/2025 दि0 12-11-25	107.47 107.47 0.41 107.06	53.73	45.00	45.00
10	-तदैव-	प्रा.ख. सीतापुर	बहराइच सीतापुर (राज्य मार्ग -30 बी0) केमी0 49 में कान्तापुरवा से सेवता खुरलिया बरईडीह कालेपुरवा काषीपुर मार्ग के आंशिक मार्ग षिकोहा चैराहा से सेवता (माँ सरस्वती देवी मंदिर) होते हुए खुरलिया चैराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	24/2026/आई/1262409/2026/01-23-7002-099/5/2026 दि0 11.03.2026	1552.58 1552.58 1.00 1551.58	465.77	1008.23	1008.23
11	-तदैव-	नि.ख.-1 उन्नाव	जनपद उन्नाव में हसनपुर नहर पुलिया से नरसा बयाली गांव वाया बहरू बाबा धाम सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	18/2026/आई/1255341/2026/01-23-7002/1/2026 दि0 28-02-2026	146.49 146.49 0.09 146.40	20.00	119.08	119.08
12	21337/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-11-05-2026	नि.ख. सीतापुर	आंट इमलिया चित्रकूट का अवशेष भाग (दौलतपुर मोड) (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	12/2026/आई/1227125/2026/01-23-7002(099)/3/2025 दि0 04-02-2026	734.19 734.19 3.52 730.67	21.26	200.00	200.00
13	21436/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2026-27 Dt-13-05-2026	नि.ख.-1 रायबरेली	ऊंचाहार खरौली माग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	167/2025/928/001-23-6099(099)/109/2025/दिनांक-31-03-2025	1918.55 1918.55 281.09 1637.46	1251.00	200.00	200.00
			कुल योग					3022.45

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यो के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है, तो अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान धनावंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 30,22,45,000 (रुपये तीस करोड़ बाईस लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6. मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
12. राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र० शासन।
13. अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14. लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।
15. नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।